रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266670
CG-DL-E-04102025-266670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4396] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947**
No. 4396] **NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2025

सं. 39/2025–26

विषयः आइटीसो (एचएस) 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के एचएसएन 1006 के तहत निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4522(अ).— समय–समय पर यथा संषोधित विदेष व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेष व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा चावल (बासमती और गैर–बासमती) के निर्यात के लिए उप–षीर्षक 1006 की नीतिगत षर्त में तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 62/2024–25 दिनांक 10.03.2025 में निम्नलिखित संषोधन करती हैः

2. निर्यात नीतिगत षर्तों को निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के तहत मौजूदा प्रविष्टियों के अंतर्गत निम्नानुसार संषोधित करके अधिसूचित किया गया हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीतिगत शर्त
1006 2000 1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	गैर–बासमती चावल	i. यूरोपीय संघ के सदस्य देषों और यूरोपीय देषों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड लिचटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड को निर्यात की अनुमति निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के अध्यधीन दी गई है। ii. निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अर्थात **02.04.2026 तक** षेष यूरोपीय देषों को निर्यात के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
1006 3012 1006 3092	बासमती चावल	

अधिसूचना का प्रभावः चावल (बासमती और गैर–बासमती) निर्यातों के लिए ईआइसी/ईआइए से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवष्यकता यूरोपीय संघ के सदस्य देषों, यूके, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड तक सीमित है। अन्य यूरोपीय देषों को निर्यात इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने के लिए इस आवष्यकता से छूट प्राप्त हैं।

[फा. सं. 01/91/171/35/एएम20/ईसी/ई–फाइल/ई–18655]

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2025

No. 39 /2025-26

Subject: Amendment in Export Policy Condition under HSN 1006 of Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022 –reg.

S.O. 4522(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment to the Notification No. 62/2024-2025 dated 10.03.2025, with immediate effect in policy condition of sub-heading 1006 for export of rice (Basmati and Non-Basmati) -

2. The Export Policy Conditions are notified under the existing entries under the following ITC(HS) Codes are amended as under: -

ITC(HS) codes	Description	Export Policy Condition
1006 2000 1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	Non-Basmati Rice	i. Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency'. ii. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall not be mandatory for export to remaining

		European countries with effect from the date of this notification for a period of six months i.e. **till 02.04.2026**.
1006 3012 1006 3092	Basmati Rice	

Effect of notification - The requirement for a Certificate of Inspection from EIC/EIAs for Rice (Basmati and Non-Basmati) exports is limited to EU member states, the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. Exports to other European countries are exempt from this requirement for six months from the date of this notification.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/EC/E-File/E-18655)]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.04 16:59:12 +05'30'